



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन 1935 (श0)
(सं0 पटना 227) पटना, शुक्रवार, 28 फरवरी 2014

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं
13 फरवरी 2014

सं0 4/ट0-11-03/2013-138(4)—भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, एक्स-रे टेकनीशियन संवर्ग में नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।—

अध्याय-1 : प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** — (1) यह नियमावली “बिहार एक्स-रे टेकनीशियन संवर्ग नियमावली, 2014” कही जा सकेगी।
 - इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - यह तुरत प्रवृत्त होगी।
- परिभाषाएँ।** — जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :—
 - ‘सरकार’ से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
 - ‘विभाग’ से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;
 - ‘आयोग’ से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
 - ‘नियुक्ति प्राधिकार’ से अभिप्रेत है संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी;
 - ‘संवर्ग’ से अभिप्रेत है बिहार एक्स-रे टेकनीशियन संवर्ग; तथा
 - ‘परिशिष्ट’ से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट।
- संवर्ग का गठन।** —एक्स-रे टेकनीशियन का संवर्ग जिला स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की कुल संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाय। जिला संवर्ग से ही संबंधित जिला में अवस्थित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं सुपरस्पेशलिटी अस्पतालों में एक्स-रे टेकनीशियनों की पदस्थापना की जायेगी।
- संवर्ग का पदसोपान।** —इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ अर्थात् पदसोपान परिशिष्ट-1 के अनुसार होंगे।

अध्याय-2 : भर्ती

5. **भर्ती।** – इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (एक्स-रे टेकनीशियन) के पद पर सीधी भर्ती से, आयोग की अनुशंसा के आधार पर, होगी।

6. **अर्हताएँ।** – (1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इन्टरमीडियेट/10+2 (भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, जीव-विज्ञान अंग्रेजी के साथ) में उत्तीर्णता होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा-इन-मेडिकल रेडियोग्राफी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा।

(2) एक्स-रे टेकनीशियन संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु-सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु-सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय। संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

7. **भर्ती की प्रक्रिया।** – (1) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेंस कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित आधार पर मेधासूची तैयार करेगा :-

(क)	इन्टरमीडियेट/10+2 के प्राप्तांक के लिए-	25 अंक
(ख)	उच्चतर शिक्षा (बी0एस-सी0/एम0एस-सी0) के प्राप्तांक के लिए-	10 अंक
(ग)	डिप्लोमा-इन-मेडिकल रेडियोग्राफी कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए-	25 अंक
(घ)	बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव के लिए (प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)-	25 अंक
(ङ)	साक्षात्कार के लिए-	15 अंक

कुल 100 अंक

टिप्पणी। – इन्टरमीडियेट/10+2, एवं डिप्लोमा-इन-मेडिकल रेडियोग्राफी कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जानेवाले अंकों का निर्धारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.25 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे $50\% \times 0.25 = 12\frac{1}{2}$ अंक दिये जायेंगे।

(3) साक्षात्कार की प्रक्रिया का निर्धारण आयोग के द्वारा किया जायेगा।

(4) उपनियम(2) के आधार पर मेधासूची तैयार करने के पश्चात्, आयोग के द्वारा, नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से, प्रमाणपत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात् अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी, प्रमाणपत्रों की जाँच के पश्चात्, अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा।

(5) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

अध्याय 3 : परिवीक्षा/विभागीय परीक्षा/सम्पुष्टि

8. **परिवीक्षा अवधि।** –नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जायेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे एक्स-रे टेकनीशियन को सेवामुक्त कर सकेगा।

9. **प्रशिक्षण।** –परिवीक्षा अवधि में एक्स-रे टेकनीशियन को ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा, जो विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय।

10. **विभागीय परीक्षा।** –एक्स-रे टेकनीशियन को विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

11. **सम्पुष्टि।** –परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक्स-रे टेकनीशियन को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

12. **वरीयता।** –एक्स-रे टेकनीशियन की आपसी वरीयता आयोग के द्वारा निर्धारित मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

अध्याय-4 : प्रोन्नति

13. प्रोन्नति के सोपान।—(1) सेवा में सम्पुष्ट एक्स-रे टेकनीशियन को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार, परिशिष्ट-1 में उल्लिखित प्रोन्नति के सोपान के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत 'कालावधि' संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रोन्नति संबंधी और चारित्री या पी0ए0आर0 संबंधी, आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय, अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

14. विभागीय प्रोन्नति समिति।—प्रोन्नतियों विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर होंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

अध्याय 5 : प्रकीर्ण

15. आरक्षण।— सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय-समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

16. परिशिष्ट-1 में अंकित पदसोपान सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगा। यदि अनुमोदन पर विचार के क्रम में सरकार द्वारा परिशिष्ट-1 में अंकित पद-सोपान में कोई परिवर्तन या संशोधन किया जाता है तो परिशिष्ट-1 तदनुसार परिवर्तित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा परिवर्तित/संशोधित पद-सोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

17. परिशिष्ट-1 में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से, नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

18. अवशिष्ट मामले।—इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

19. निर्वचन।—यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

20. कठिनाई का निराकरण।—यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण करने की शक्ति होगी।

21. निरसन एवं व्यावृत्ति।— (1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय-समय पर निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से निरसित समझे जायेंगे।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी ऐसी नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट-1

[नियम- 2(vi), 4, 13, 16,17 द्रष्टव्य]
एक्स-रे टेकनीशियन संवर्ग का पदसोपान

क्रमांक	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1	मूल कोटि	एक्स-रे टेकनीशियन	
2	प्रथम सोपान	वरीय एक्स-रे टेकनीशियन	
3	द्वितीय सोपान	एक्स-रे पर्यवेक्षक	
4	तृतीय सोपान	वरीय एक्स-रे पर्यवेक्षक	

नोट :-उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

13 फरवरी 2014

सं० 4/टे०-11-03/2013-139(4) अधिसूचना संख्या 138(4) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 13th February 2014

No. 4/टे०-11-03/2013-138(4)—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following Rules to determine appointment and service conditions in the X-ray Technician Cadre under the Health Department.-

Chapter-1 : PRELIMINARY

1. **Short title, extent & commencement.--** (1) These Rules may be called as the "Bihar X-ray Technician Cadre Rules, 2014".
(2) It will extend to the whole State of Bihar.
(3) It will come into force immediately.
2. **Definitions.--** In these Rules, unless the subject or context otherwise requires:-
(i) 'Government' means Bihar State Government;
(ii) 'Department' means Health Department;
(iii) 'Commission' means Bihar Staff Selection Commission;
(iv) 'Appointing Authority' means Civil Surgeon-cum- Chief Medical Officer;
(v) 'Cadre' means Bihar X-ray Technician Cadre; and
(vi) 'Appendix' means appendix appended to these Rules.
3. **Constitution of Cadre.--** The Cadre of X-ray Technician shall be at District level. In this cadre, number of posts in every grades and total number of posts in the cadre shall be as many as are sanctioned by the government, from time to time. The X-ray Technicians of district cadre will also be posted in the Medical College Hospitals and Super Speciality Hospitals located in the concerned district.
4. **Chain of posts of cadre.--** Different grades and Chain of posts of this cadre shall be according to Appendix-1.

Chapter - 2 : RECRUITMENT

5. **Recruitment.--** The appointment in this cadre shall be by direct recruitment to the basic grade posts (X-ray Technician), on the basis of recommendation of the Commission.
6. **Qualification.--** (1) For appointment by direct recruitment to the basic grade post, minimum educational qualification shall be Intermediate/10+2 (Physics, Chemistry, Biology with English) pass. In addition to this, it shall be necessary to have passed Diploma in Medical Radiography from a government recognised institution.
(2) For direct recruitment minimum age limit shall be 21 years and maximum age limit shall be the same which may be determined reservation categorywise, from time to

time, by the government. 1st August of the concerned year shall be deemed to be the cut off date for determination of age.

7. Procedure of recruitment.--(1) The appointing authority, after calculating vacancy on the basis of position as on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send reservation categorywise requisition to the Commission.

(2) In light of requisition, the Commission shall invite applications by advertising vacancies and prepare merit list on following basis :-

(a)	For marks obtained in Intermediate/10+2-----	25 marks
(b)	For marks obtained in higher degree (B.sc/M.Sc)-----	10 marks
(c)	For marks obtained in Diploma in Medical Radiography course examination-----	25 marks
(d)	For experience in Government Hospitals of Bihar State (5 marks per year, maximum 25 marks)-	25 marks
(e)	For interview-	15 marks

Total 100 marks

Explanation.--The marks to be given to a candidate for Intermediate/10+2 course and Diploma in Medical Radiography Course examinations shall be determined by multiplying the percentage of total marks obtained in aforesaid examination by multiple of 0.25. For example, if a candidate has obtained 50% marks, then he will be given $50\% \times 0.25 = 12\frac{1}{2}$ marks.

(3) Procedure for Interview shall be determined by the Commission.

(4) After preparation of merit list, on the basis of sub-rule(2), preliminary scrutiny of certificates and medical tests will be caused to be conducted by the Commission with the cooperation of appointing authority and thereafter final recommendation will be sent to the Appointing Authority. At the level of Appointing Authority also, verification of antecedents of recommended candidates will be caused to be done after scrutiny of certificates.

(5) Compliance of instructions issued by the government, from time to time, with respect to procedure of appointment, after recommendation of the commission, shall be necessary.

Chapter - 3

PROBATION/DEPARTMENTAL EXAMINATION/CONFIRMATION

8. Probation Period.--After appointment the candidates will be under probation. Probation period will be of two years. In case, the service during probation period is not found satisfactory, the probation period will be extended for one year. If the service is not found satisfactory in extended period also, then the Appointing Authority may terminate service of such X-ray Technician.

9. Training.--During probation period, the probationer X-ray Technician shall have to undergo such training as is prescribed by the Department.

10. Departmental Examination.--The X-ray Technician shall have to pass the departmental examination arranged by the Department. The syllabus of departmental examination will be determined by the Department.

11. Confirmation.--On Satisfactory Completion of probation period, successful completion of training and after passing of departmental examination, an X-ray Technician may be confirmed in the service.

12. Seniority.--The inter-se seniority of X-ray Technician shall be determined according to the merit list prepared by the Commission.

Chapter 4 : PROMOTION

13. Chain of posts of Promotion.--(1) Subject to availability of vacancy and according to seniority cum merit, confirmed X-ray Technician may be considered to be promoted on the posts mentioned in Appendix-1.

(2) For promotion, Compliance of Instructions regarding 'KALAWADHI' determined by the Government, from time to time, shall be necessary.

(3) Compliance of instructions issued by the Government from time to time, with respect to promotion, and character Roll/PAR allegations/ departmental proceedings/ criminal proceedings, etc shall be necessary at the time of consideration of promotion.

14. Departmental Promotion Committee.--Promotion may be considered on the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee. The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department.

Chapter - 5 : MISCELLANEOUS

15. Reservation.-- Compliance of provision of Reservation Act of the Government and reservation roster for direct recruitment and promotion, issued from time to time, by the Government shall be necessary.

16. The chain of posts mentioned in Appendix-1 shall be effective only after approval of the Government. If, in course of consideration of approval, any modification or amendment is made by the Government in the chain of posts mentioned in Appendix-1, then the Appendix-1 shall be deemed to be modified or amended accordingly and such modified/amended chain of posts shall be deemed to be the part of these Rules.

17. The personnels appointed/promoted and working on the posts of this cadre mentioned in Appendix-1, before coming into force of these Rules, shall be deemed to be automatically included in this Cadre.

18. Residue Matters.-- For the subjects which have not been provided in these Rules, provisions of concerned Codes/Rules/Resolutions/Instructions shall apply.

19. Removal of doubts.--If any doubt arises with respect to interpretation of any provision of these Rules, it shall be referred to the Department and in this respect decision of the Department shall be final.

20. Removal of difficulties.-- If any difficulty arises in implementation of provisions of these Rules, the Department shall have powers to remove such difficulty.

21. Repeal & Savings.-- (1) The Rules and all resolutions, orders, instructions etc. issued earlier, from time to time, by the Department with respect to this cadre, shall be deemed to be repealed with effect from the date of coming into force of these Rules.

(2) Notwithstanding such repeal, any work done or any action taken in exercise of powers conferred by aforesaid Rules, resolutions, orders, instructions etc shall be deemed to be done or taken under these Rules presuming that these Rules were in force on the date on which such a work was done or such an action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR,
Joint Secretary of Government.

APPENDIX-1

[see rule 2 (vi), 4, 13, 16, 17]

Chain of Posts of X-ray Technician cadre

Sl.No	Grade	Name of Posts	Remarks
1.	Basic grade	X-ray Technician	
2.	First Ladder	Senior X-ray Technician	
3.	Second Ladder	X-ray Supervisor	
4.	Third Ladder	Senior X-ray Supervisor	

Note.- The Pay Band and Grade Pay of aforesaid all grades shall be the same as determined by the Government from time to time.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR,
Joint Secretary of Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 227-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 चैत्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 231) पटना, मंगलवार, 19 अप्रील 2022

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

12 अप्रील 2022

सं० 4/टे-11-03/2013-395(4)—भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल “बिहार एक्स-रे-टेक्नीशियन संवर्ग नियमावली, 2014(समय-समय पर यथा संशोधित)” का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।— (1) यह नियमावली “बिहार एक्स-रे-टेक्नीशियन संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2022” कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. **बिहार एक्स-रे-टेक्नीशियन संवर्ग नियमावली, 2014(समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-6(1) का प्रतिस्थापन** ।—उक्त नियमावली के नियम 6(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा—

“(i) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडियेट/+2 (भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ) उत्तीर्णता होगी। इसके अतिरिक्त संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्स-रे-टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्णता/बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

12 अप्रील 2022

सं० 4/टे-11-03/2013-396(4)/अधिसूचना सं० 395(4) दिनांक 12 अप्रील 2022 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद-348 क खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

The 12th April 2022

No.: 4/Te.-11-03/2013-395(4)--In exercise of the powers conferred by provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is Pleased to make the following Rules to amend the "Bihar X-ray Technician Cadre Rules, 2014(As amended from time to time)" :-

1. Short title, extent and commencement.-(1) These Rules may be called the "Bihar X-ray Technician Cadre (Amendment) Rules, 2022."

(2) It shall extend to the whole state of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Substitution of rule-6(1) of the Bihar X-ray Technician Cadre Rules, 2014(As amended from time to time).- **Rule -6(1)** of the said Rules shall be substituted by the following:-

"6 Qualification:- (1) For direct recruitment to the basic category posts, minimum educational qualification shall be pass in Intermediate/+2(with Physics, Chemistry, Biology and English). In addition to this, it shall be necessary to have passed X-ray Technician Diploma Course/Bachelor in X-ray Technology Course from Institution recognized by the Union of India or State of Bihar or any other State Governments and it shall be necessary to have a Certificate related thereto.

By the order of the Governor of Bihar,

(Sd.) Illigible,

Secretary of Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 231-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 कार्तिक 1946 (श10)

(सं0 पटना 1056) पटना, सोमवार, 4 नवम्बर 2024

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

1 नवम्बर 2024

सं० 4/टे०-11-03/2013-1183(4)—भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल “बिहार एक्स-रे-टेक्नीशियन संवर्ग नियमावली, 2014(समय-समय पर यथा संशोधित)” का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।— (1) यह नियमावली “बिहार एक्स-रे-टेक्नीशियन संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024” कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार एक्स-रे-टेक्नीशियन संवर्ग नियमावली, 2014के नियम-6(2) का प्रतिस्थापन ।—उक्त नियमावली के नियम 6(2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।—

“(2)एक्स-रे-टेक्नीशियन संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय। विज्ञापन वर्ष की 1ली अगस्त को उम्र के निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि मानी जायेगी।

3. बिहार एक्स-रे-टेक्नीशियन संवर्ग नियमावली, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-7(2), (3) (4) एवं (5) का प्रतिस्थापन ।—उक्त नियमावली के नियम-7(2), (3) (4) एवं (5) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।—

“7. भर्ती की प्रक्रिया ।—(2) अध्याचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

(क) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूर्णांक

— 75 अंक

(ख) कार्यानुभव प्राप्तोंक बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों/ संस्थानों तथा गैर निजी(केन्द्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकायों के नियंत्रणाधीन)अस्पतालों में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्यअनुभव के लिए प्रति वर्ष 5 अंक,अधिकतम 25 अंक।

—25 अंक

(किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 05 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा।)

कुल — 100 अंक

(3) कार्यानुभव का लाभ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। कार्यानुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थिति में अधीक्षक, अतिविशिष्ट अस्पताल की स्थिति में निदेशक तथा कंडिका-02(ख) में उल्लिखित संस्थानों की स्थिति में उक्त संस्थानों के प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(4) संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को कार्यानुभव एवं संविदा अवधि के समतुल्य अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ उसी पद पर नियमित नियुक्ति में देय होगा, जिस पद पर अभ्यर्थी संविदा पर कार्यरत है।

(5) आयोग, इस नियमावली के उपनियम (2) के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा एवं अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को भेजेगा। तदुपरान्त संबंधित नियुक्ति प्राधिकार प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, स्वास्थ्य जाँच, पूर्ववृत्त सत्यापन आदि तथा नियुक्ति संबंधी सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के समय-समय पर निर्गत निर्देशों का पालन करते हुए नियुक्ति करेगा।

(6)आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

1 नवम्बर 2024

सं० 4/टे-11-03/2013-1183(4)—अधिसूचना सं० दिनांक का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद-348 क खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

The 1st November 2024

No. 4/टे-11-03/2013-1183(4)—In exercise of the powers conferred by provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the "Bihar X-ray Technician Cadre Rules, (as amended time to time) 2014"

1. **Shorttitle, extent and commencement.- (1) These Rules may be called the "Bihar X-ray Technician Cadre (Amendment) Rules, 2024."**

(2) It will extend to the whole state of Bihar.

(3) It will come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. **Substitution of rule-6(2) of the "Bihar X-ray Technician Cadre Rules, 2014.- Rule 6(2) of the said Rules shall be substituted by the following:-**

"(2) for direct recruitment in the X-ray TechnicianCadre, minimum age limit shall be 18 years and maximum age limit shall be the same as may be determined

reservation category wise, from time to time, by the government. 1st August of the **Advertised year** shall be deemed to be cut off date for determination of age."

3. Substitution of rule-7(2), (3), (4)and (5) of the Bihar X-ray Technician Cadre (Amendment) Rules, 2014.- Rule -7(2), (3), (4)and (5) of the said Rules shall be substituted by the following:-

"7. Procedure of recruitment.- (2) The commission on the requisition shall advertise the vacancies and invite application forms from eligible candidates and on the basis of written competitive examination and experience the candidates shall be selected.

(a) Full marks for the written competitive Examination - 75 marks

(b) Experience Marks:-For contractual work in State Government hospitals/Institutions of Bihar and Non Private hospital (under control of Central Government, Panchayati Raj institutions, and urban local bodies) located in Bihar. 5 marks/year shall be given for working experience on same post while working in above mentioned hospitals/Institutions. Maximum 25 Marks (Number of working days as part of an year will be multiplied by 5 and then after divided by 365, shall be added as proportional marks)

Total -100 marks

(3) Benefit of work experience shall be given only to those applicants who pass the competitive examination. The certificate of work experience issued by Civil Surgeon of the concerned district, Principal of Medical College, Superintendent of Medical College and Hospital, Director in case of Super speciality Hospital and in case of head of those Institutions which are mentioned in Para 2 (b) will be acceptable.

(4) Benefit of work experience of contractual worker and upper age relaxation for the period of contractual engagement will be applicable for those regular appointed candidates who are working on the same post.

(5) The Commission shall prepare merit list on the basis of sub-rule (2) of rules and shall send reservation category-wise recommendation in accordance with the requisitioned vacancies to the Department. Thereafter, the appointing authority concerned shall make appointments after verification of certificates, conducting medical tests, verification of antecedents, etc and complying guidelines regarding the appointment issued by the Government (General Administration Department), from time to time.

(6) After recommendation of the Commission, it shall be necessary to follow instructions regarding procedure of appointment issued by the Government, from time to time.

*By the order of the Governor of Bihar,
Sd. Illegible,
Secretary of Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1056-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>